

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अन्तर्गत जिला/ प्रखंड स्तर पर गठित PMU में सविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना

विज्ञापन सूचना- 01/18-19

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के ज्ञापांक- 91/अभि0, दिनांक- 30.01.18 द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में पद के विरुद्ध अभ्यर्थियों द्वारा पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त विज्ञापन को रद्द किया जाता है। पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अन्तर्गत जिला एवं प्रखंड स्तर पर PMU गठन हेतु ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में जिले में रिक्तियों की संख्या तथा अहर्ता निम्नवत् है :-
जिला स्तर पर :-

क्र०	पद का नाम	रिक्त की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	जिला समन्वयक	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण/ Post Graduate/ PGDM/ MBA in Rural Management/ Cooperative Management/ Social Work एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।
2	प्रशिक्षण समन्वयक	01	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण/ Post Graduate/ PGDM/ MBA in Rural Management/ Cooperative Management/ Social Work एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव।

प्रखंड स्तर पर :-

क्र०	पद का नाम	रिक्त की संख्या	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखंड समन्वयक	ST-02	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव
2	लेखापाल -सह- कंप्यूटर ऑपरेटर	Gen-02 ST-02, SC-01 Total-05	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय/ संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमिडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 6 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य

कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण, स्थानीयता एवं अन्य निर्देश लागू होंगे।

रिक्त पद के अतिरिक्त अन्य कोटि के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन के आलोक में तैयार मेधा प्रतीक्षा सूची से ही भविष्य में रिक्त पद के विरुद्ध चयन किया जायेगा। मेधा सूची प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष के लिए मान्य होगा।

आवेदकों को ऑनलाईन विभागीय पोर्टल <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर जाकर आवेदन करना है, जहाँ नियुक्ति संबंधी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक- 01.07.2018 से प्रारंभ होकर 21.07.2018 तक भरा जायेगा।

आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी www.jamtara.nic.in अथवा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, जामताड़ा से भी प्राप्त किया जा सकता है।

उप्रायुक्त,
जामताड़ा।
29/6/2018

ज्ञापांक 614 /अभि0, दिनांक- 29/06/18

प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप्रायुक्त,
जामताड़ा।
29/6/18

ज्ञापांक 614 /अभि0, दिनांक- 29/06/18

प्रतिलिपि :- सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप्रायुक्त,
जामताड़ा।
29/6/2018

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रपत्र

यतीन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

जिला

सभी उपायुक्त/उप विकास आयुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक- 09-03-17 /

विषय - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर PMU गठन के संबंध में।

प्रस्ताव :- विभागीय अधिसूचना संख्या-1016 (अनु०) दिनांक-01.03.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार सूचित करना है कि प्रासंगिक अधिसूचना सभी जिलों को पूर्व में ही प्रेषित कर दी गयी है। प्रत्येक जिला तथा प्रखण्ड में निम्नरूपेण PMU हेतु नियुक्ति की जानी है :-

जिला स्तर पर :-

क्र	पद का नाम	संख्या	मासिक मानदेय
1	2	3	4
1	जिला समन्वयक	24 (एक प्रति जिला)	35000 /-
2	प्रशिक्षण समन्वयक	24 (एक प्रति जिला)	35000 /-
3	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	24 (एक प्रति जिला)	15000 /-

प्रखण्ड स्तर पर :-

क्र	पद का नाम	संख्या	मासिक मानदेय
1	2	3	4
1	प्रखण्ड समन्वयक	263 (एक प्रति प्रखण्ड)	18000 /-
2	लेखापाल-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर	263 (एक प्रति प्रखण्ड)	10000 /-

जिला स्तरीय पद एकल पद है, अतः इनकी नियुक्ति में कोई पद आरक्षित नहीं रहेगा। प्रखण्ड स्तरीय पद संबंधित जिले में प्रखण्डों की संख्या के अनुसार है। अतः प्रखण्ड स्तरीय नियुक्ति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5776 दिनांक-10.10.2002 तथा संकल्प संख्या-2020 दिनांक-09.04.2010 द्वारा निर्गत कोटिवार एवं जिलावार आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण दाय होगा। स्थानीयता के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-3198 दिनांक 18.04.2016 प्रभावी होगी। उक्त दोनों की प्रति सभी जिलों को प्रासंगिक अधिसूचना के साथ प्रेषित है।

सभी नियुक्तियों के लिए आवेदन विभागीय Online Recruitment Portal <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> पर आमंत्रित किया जायेगा परन्तु इसके लिए विज्ञापन का प्रकाशन सभी जिलों द्वारा अलग-अलग किया जायेगा। विज्ञापन प्रारूप परिशिष्ट '1' पर संलग्न है। सभी जिला दिनांक 09.03.2017 से 15.03.2017 के बीच विज्ञापन का प्रकाशन कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे।

नियुक्ति हेतु कुल अंक 100 होंगे, जिसका उल्लेख अधिसूचना में किया गया है। 70 अंकों में प्रश्नों का प्राप्तांक की गणना विभागीय Recruitment Portal द्वारा किया जायेगा। शेष 30 अंकों की दक्षता परीक्षा अधिसूचना में गठित समिति द्वारा निर्धारित कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी। जिला स्तरीय समिति को अधिकार होगा कि वे वांछित अनुभव हेतु निर्धारित 20 अंकों में पोर्टल द्वारा गणना किये गये प्रश्नों के प्राप्तांक की सम्पुष्टि उनके अनुभव संबंधी दस्तावेज देखकर करें तथा समिति उक्त आधार पर प्रश्नों को सशोधित भी करने में सक्षम होगी।

निर्देशानुसार सभी जिलों से अपेक्षा की जाती है कि वे तत्काल अधिसूचना में गठित समिति के लिए आदेश निर्गत करते हुए निर्धारित तिथि के भीतर परिशिष्ट '1' के अनुसार विज्ञापन का प्रकाशन सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे।

इस संबंध में जिले की किसी पृच्छा हेतु विभागीय संयुक्त सचिव श्री यतीन्द्र प्रसाद के संपर्क संख्या +91 9431371831 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विभागीय Recruitment Portal में कार्यरत श्री किसलय (+91 7250256015, +91 9955547128) तथा श्री कुणाल (+91 8797755575) से भी संपर्क किया जा सकता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/2/17

(यतीन्द्र प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव